न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14 / 02 / 2023	2023 / 312	26.07.2023	15.05.2024

1. नरसी, उम्र करीब, 80 साल,
2. डालचन्द, उम्र करीब, 55 साल,
3. रमेश उम्र करीब, 45 साल
4. हरिओम उम्र करीब, 42 साल
5. शशिकान्त पुत्रान श्री राजाराम जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम अकबरपुर तह0 अलवर।
6. अंगूरी पुत्री राजाराम पत्नी हीरालाल हाल निवासी लालखान अखैहपुरा, सूरसागर, अलवर।
7. काली पुत्री राजाराम पत्नी श्री प्यारेलाल जाति कुम्हार, निवासी बडौदाकान तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
8. सुस्सी पुत्री राजाराम पत्नी यादराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर (राज0)
9. बत्तो पुत्री राजाराम, पत्नि श्री तेजराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर (राज)
10. कृष्णा पुत्री राजाराम, पत्नि श्री जगराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बडौदाकान्त तहसील अलवर जिला अलवर।
11. मु0 जमना पत्नि स्व0 राजाराम, निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील अलवर, जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक चिंरजी एवं मु0नारायणी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. अमरी देवी पुत्री ख्याली पत्नि धनीराम, जाति प्रजापत, निवासी मौहल्ला गायवाला, अलवर राज0 जिला अलवर।
2. गिर्राज प्रसाद पुत्र ख्याली, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम अकबरपुर।
3. भीमा देवी पुत्री ख्याली, पत्नि हरिराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम अकबपुर तहसील अलवर व जिला अलवर।
4. मूर्ती देवी पुत्री ख्याली, पत्नि, रेवडराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम अकबपुर तहसील अलवर व जिला अलवर।
5. पूरणमल पुत्र ख्याली, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम अकबपुर तहसील अलवर व जिला अलवर।
6. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर, तहसील व जिला अलवर।

—रेस्पोडेट्स

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर के आदेश दिनांक 16.02.2022 के द्वारा दिनांक 21.02.2022 को सनद/पट्टा क्रमांक पुर्नवास 2022/338 बहक रेस्पाडेन्टान।

उपस्थितः—
01—श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील अपीलांट्स
02—श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता —वकील रेस्पोट्स

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

—निर्णयः—

अपीलांटान द्वारा अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर के आदेश दिनांक 16.02.2022 के द्वारा दिनांक 21.02.2022 को सनद/पट्टा क्रमांक पुर्नवास 2022/338 बहक रेस्पाडेन्टान से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान वकील

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलांटान द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पाडेन्ट सं0 1 ला0 05 संयुक्त परिवार के सदस्य है, जिनके परिवार का शजरा निम्न प्रकार है। मूसा पुत्र रामदेवा, रामदेवा पुत्रान चिरंजी, ख्याली, चिरंजी पुत्रान नरसी (अपीलान्ट), राजाराम(मृतक), नारायणी (मृतक) है। रामदेवा के दो पुत्र चिरंजी व ख्याली थे, जो संयुक्त परिवार के सदस्य थे। चिरंजी की मृत्यु वर्ष 1945 मे हो गई तथा ख्याली की मृत्यु 2020 हो गई। चिरंजी की पत्नि नारायणी के दो पुत्र नरसी व राजाराम हुए। चिरंजी जवान आयु में मरा था, उसकी पत्नि जवान उम्र की थी तथा उसके पुत्र नरसी व राजाराम नाबलिग थे, जो संयुक्त परिवार मे रहते थे। नाबालिग बच्चो की देखभाल व परवरिश के लिए चिरंजी का भाई ख्याली था, जो अविवाहित था। इसलिए नारायणी ने अपने देवर ख्याली की मुताबिक रस्म चूडी पहनली। नारायणी की मृत्यु होने पर ख्याली ने पुर्नविवाह तोफली से कर लिया। तत्पश्चात् ख्याली व तोफली के नुत्फ से रेस्पाडेट संख्या 1 लगायत 5 पैदा हुए। किन्तु परिवार संयुक्त ही रहा। अपीलांतर्गत आराजी हाल खसरा नंबर 1002 रकबा 75 ऐयर, 1011 रकबा 07 ऐयर, 1012 रकबा 36 ऐयर, 1013 रकबा 30 ऐयर किता 4 रकबा 1.48 है0 ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो विवादित आराजी है। विवादित आराजी के साबिक खसरा नंबर 173 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 174 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 177 रकबा 6 बिस्वा, 178 रकबा 5 बिस्वा, 180 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 7 बीघा 19 बिस्वा, जिनके गत बंदोबस्त संवत् 2020 से पूर्व खसरा नंबर 182 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 183 रकबा 1 बिस्वा, 187 रकबा 6 बिस्वा, 190 रकबा 05 बिस्वा, 192 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 191 रकबा 9 बिस्वा किता 07 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा थे। रामदेवा के वारिसान मृतक चिरंजी व ख्याली तथा गप्पू उपरोक्त आराजी को शामलात में काश्त करते थे। गप्पू उसके हिस्से की आराजी 2 बीघा 2 बिस्वा जो हाल खसरा नंबर 1003, 1004, 1005, 1010, 1021, 1025, 1026, 1027 है। शेष आराजी हाल खसरा नंबर 1002 रकबा 75 ऐयर, 1011 रकबा 07 ऐयर, 1012 रकबा 36 ऐयर, 1013 रकबा 30 ऐयर किता 4 रकबा 1.48 है0 रामदेवा के दोनों पुत्रों मृतक चिरंजी व ख्याली के हिस्से की थी और कब्जे में रही। चिरंजी की मृत्यु जवान उम्र होने के कारण परिवार का मुखिया ख्याली हो गया तथा चिरंजी की पत्नि ने भी ख्याली की चूडी पहनली। इस प्रकार अपीलान्टान एवं रेस्पाडेन्टान संयुक्त परिवार के सदस्य होने के कारण आराजी मुतनाजी पर शामलात में काश्त करते रहे तथा ख्याली परिवार का मुखिया होने के कारण विवादित आराजी तन्हान ख्याली के नाम दर्ज हो गई। लेकिन कब्जा शामलात में ही अपीलांटान व रेस्पाडेन्टान का चलता रहा। राजस्व कि अभिलेख में तन्हा ख्याली का नाम दर्ज होने के कारण उसके मन में बदयनियती आ गई, जिससे विवाद हो गये, तब आपसी सहमति से यह तय पाया गया कि साबिक खसरा नंबर 180 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, जिसका हाल खसरा नंबर 1012 रकबा 36 ऐयर व 1013 रकबा 30 ऐयर बने हैं, वाके ग्राम अकबरपुर अपीलान्टान के कब्जे काश्त खातेदारी की है और रहेगी तथा शेष आराजी खसरा नंबर 173 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1002 रकबा 75 ऐयर व 1011 रकबा 07 ऐयर रेस्पाडेन्टान के पास रहेगी और तदानुसार काबिज रहेंगे तथा समझौता अनुबंध दिनांक 20.06.1991 को स्वेच्छा से निष्पादित किया गया, जो नोटेरी से दिनांक 16.07.1991 को तस्दीक किया गया। उस समय ख्याली जीवित था, जिसके अंगूठा निशानी भी उक्त समझौता अनुबन्ध मौजूद है तथा ख्याली के पुत्र गिर्राज के भी दस्तखत मौजूद है, जिससे हरदो पक्षकारान पाबन्द है और समझौता अनुबन्ध मुताबिक ही अपीलान्टान एवं रेस्पाडेन्टान अपनी–अपनी आराजी पर मौके पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी इसी कदर काबिज है और सरकारी जमा भी अदा करते आ रहे है, जिसकी रसीदात मौजूद है। अपीलान्टान को हाल ही में दिनांक 03.08.2022 को जानकारी हुई है कि दिनांक 21.02.2022 को विवादित आराजी की तन्हा खातेदारी रेस्पाडेंट संख्या 1 लगा0 5 ने अपने नाम कराली और सनद पट्टा जारी करा लिया गया है। जिससे अपीलांटान को आलोच्य आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई है। आलोच्य आदेश बाबत सनद पट्टा खातेदारी विधि विरूद्व मौके एवं कब्जे के खिलाफ है तथा कुल कार्यवाही अपीलान्टान के बाला–बाला अपीलान्टान को बेजा नुकसान पहुँचाने की मंशा से की गई है।

आराजी खसरा नंबर 1012 रकबा 36 ऐयर व 1013 रकबा 30 ऐयर पर रेस्पाडेन्टान का कोई कब्जा नहीं है, बल्कि तन्हा रूप से अपीलान्टान ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने न तो मौके पर कब्जे की जॉच की, न ही अपीलान्टान को तलब किया न किसी तरह से सुनवाई का कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अवसर प्रदान किया तथा कुल कार्यवाही अपीलान्टान के पीठ पीछे से न्याय के मूल सुस्थापित सिद्वांतों के खिलाफ अपीलान्टान के हितों के खिलाफ की गई है। अपीलान्टान को हाल ही में दिनांक 03.08.2022 को आलोच्य आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई है, जिस पर जानकारी करके आलोच्य आदेश एवं उसके तहत जारी सनद पट्टे की नकलें प्राप्त की गई तथा आलोच्य आदेश की नकल दिनांक 08.08.2022 को प्राप्त हुई है। जिससे यह अपील जानकारी की दिनांक 03.08.2022 से मामुलन अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर का आलोच्य आदेश दिनांक 16.02.2022 व इसके आधार पर जारी सनद/पट्टा क्रमांक पुर्नवास/2022/338 दिनांक 21.02.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करते समय परिपत्रों की पालना की गयी है। रैस्पो0 गैर खातेदार है। जिन्होने जरिये चालान 42950/– रूपये जमा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यालय टिप्पणी में भी गिर्राज को पट्टा जारी करने की सिफारिश की गई है। आदेश दिनांक 16.02.2022 करने के बाद सनद पट्टा जारी किया गया। आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई इकरारनामा नहीं हुआ और ना ही सिविल न्यायालय में कोई वाद दायर किया गया। ना ही किसी कागज पर दस्तखत किये गये। रेस्पो0 द्वारा काबिज आराजी पर से अपीलांट द्वारा फसल काटने की एफआईआर तीन बार कराई गई। अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः अपील अपीलांटान खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली व उभय–पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध दिनांक 10.08.2022 को पेश की गयी। जो करीब 6 माह के विलम्ब से पेश की गयी है। राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के मद्दनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील में अपीलांट के मुख्य तर्क है कि समझौता अनुबंध दिनांक 20.06.1991 को स्वेच्छा से निष्पादित किया गया, जो नोटेरी से दिनांक 16.07.1991 को तस्दीक किया गया। उस समय ख्याली जीवित था, जिसके अंगूठा निशानी भी उक्त समझौता अनुबन्ध मौजूद है तथा ख्याली के पुत्र गिर्राज के भी दस्तखत मौजूद है, जिससे हरदो पक्षकारान पाबन्द है और समझौता अनुबन्ध मुताबिक ही अपीलान्टान एवं रेस्पाडेन्टान अपनी–अपनी आराजी पर मौके पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी इसी कदर काबिज होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व न तो मौके पर कब्जे की जॉच की, न ही अपीलान्टान को तलब किया न किसी तरह से सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। रेस्पो0 द्वारा अपील में किये गये कथनों के विरोध में पत्रावली पर कोई उपयुक्त जवाब/साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये है। जिससे जाहिर है कि पत्रावली पर रेस्पो0 का पक्ष कमजोर है। अपील अपीलांटान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटान स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.02.2022 निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलांटान तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मौके पर कब्जे की जांच कर समस्त पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थं प्रेषित की जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर राजस्थान